आधुनिक समय में महिलाओं पर हो रहे अपराध एवं उसके प्रति महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन

शोधार्थी
विनोद कुमार यादव
सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रस्तावना :–

जब परिवार की परिधि में पुरूष महिलाओं के प्रति असमाजिक और कानून विरोधी कार्य करता है तो उसे दुर्व्यवहार कहा जाता है किन्तु जब वही दुर्व्यवहार कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। आधुनिक भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन के इस दौर का सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर पड़ रहा है। प्राचीन समय में समाज मातृसत्तात्मक था जिसमें महिलाओं को प्रथम स्थान दिया जाता था जिससे परिवार में किसी प्रकार के विखण्डन की समस्या नही थी और महिलाओं पर अपराध भी न के बराबर थे। परन्तु आज आधुनिक समाज में यह स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गयी है या यह कहा जाये कि समय परिवर्तन के साथ–साथ हमारे समाज में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है और प्राचीन समाज की ठीक उल्टा करके रख दिया है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नही होगी। आधुनिक समय में हमारा समाज महिला प्रधान न होकर पितृसत्ता प्रधान देश बन गया है।

आधुनिक समय में महिलाएं कुछ क्षेत्रों में पुरूषों से आगे हैं। महिलाएं पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक कार्य का क्षेत्र हो, फिर भी समाज में उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो कि उनको मिलना चाहिए। पहले स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था और वह आत्मनिर्भर नही थी एवं उनमें अपने कर्तव्य एवं अधिकारो के प्रति जागरूकता नहीं थी किन्तुआज वह शिक्षित है, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हैं एवं संचार साधनों की सहभागिता से उनमें जागरूकता का विकास हुआ है और वह अपने पूर्ण अधिकारों से पूर्णतः परिचित भी हो गई है जिससे वह अपने ऊपर पुरूषों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार को मूकदर्शक बनकर

स्वीकार न कर अपुति उसका पूर्णतः विरोध करती है और यही कारण है कि पुरूष और स्त्री के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों के इस टकराव का खामियाजा स्त्री को उठाना पड़ता है। और यही टकराव विभिन्न प्रकार के महिला अपराध को जन्म देता है।

आधुनिक समाज गतिशील समाज बन गया है और इस आधुनिकरण ने सबको इस प्रकार से जकड़ लिया है कि सभी प्रकार के सामाजिक रिश्ते तार–तार हो गये हैं आधुनिकता की इसी रफ्तार के कारण सम्पूर्ण देश अपराध की समस्या से जुझ रहा है और भारत में भी इसका ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिसमें निम्न प्रकार के महिला अपराध प्रस्तुत है :–

बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण और दहेज हत्या, तलाक आदि प्रमुख है। जिस समाज में प्राचीनकाल में महिलाओं की पूजा होती थी उसी समाज में महिलाएं आज उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार होने लगी है। क्राइम इन इण्डिया 2011 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 21 मिनट में एक बलात्कार, 12 मिनट में एक छेड़छाड़, 13 मिनट में एक अपहरण और 62 मिनट में 1 दहेज हत्या का अपराध होता है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता :–

आधुनिक समय में अपराध की समस्या आतंकवाद से भी ज्यादा भयंकर है जिसमें महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध का ग्राफ सर्वाधिक ऊपर हैं इस विषय पर अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रहे अपराध के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उससे लड़ने की इच्छाशक्ति को जागरूक करना।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :–

1. महिलाओं को अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा की भूमिका का पता लगाना।
2. महिलाओं की जागरूकता पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पड़ने वाले प्रभाव को जानना।

परिकल्पनाएं :–

1. महिलाओं में अपराध के प्रति जागरूकता पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है।
2. महिलाओं की जागरूकता पर उनके अधिवास क्षेत्र ग्रमीण/शहरी का प्रभाव पड़ता है।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन :–

मुलायलिक (1991) : महिलाओं के बीच शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता–शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की शैक्षिक पृष्ठ भूमि एवं उनकी सामजिक जागरूकता का पता लगाना। जिसके लिए न्यादर्श के रूप में पूना शहर की 75 महिलाओं का चुनाव किया गया जिनकी आयु वर्ग 30 से 50 वर्ष था, आंकड़ों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची केस अध्ययन परीक्षण का प्रयोग किया गया। विश्लेषण हेतु गुणात्मक विधि का प्रयोग किया गया। परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि शिक्षा का महत्वपूर्ण सहसंबंध सामाजिक जागरूकता के लाभ से होता है। जाति की मान्यता सामाजिक जागरूकता को प्रभावित करती है। निम्न जाति के लोगों में शिक्षा और जागरूकता का स्तर कम है।

सिंह एवं सिंह (2012) बिहार में महिला अपराध का व्याक्तिक अध्ययन–

शोधकर्ता ने सन् 2011 में बिहार में महिला अपराध के प्रति एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य था वर्तमान में बढ़ रहे महिला अपराधों की वृद्धि का आकलन करना। इसमें शोधकर्ता ने 2003 से 2010 तक दर्ज किये गये महिला अपराधों के रिकार्ड का अध्ययन किया एवं डाटा एकत्र करने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में शहर– ग्रामीण शिक्षित–अशिक्षित एवं पुरूष–महिला का चुनाव किया गया।

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि महिला योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ योग्य महिलाओं तक पहुंचाने हेतु महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना चाहिए।

शोध प्रविधि :–

शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा प्रदत्तों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श चयन :–

प्रस्तुत शोध पत्र में न्यायदर्श के चयन हेतु उत्तरप्रदेश के मऊ जनपद के महिलाओं का चुनाव यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। जिसमें शहरी, ग्रामीण एवं शिक्षित, अशिक्षित महिलाओं को सम्मिलित किया गया।

विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों के संकलन के पश्चात उनके विश्लेषण हेतु प्रतिशतता का प्रयोग किया गया है।

इस शोध में जिन महिला उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया। उनकी जागरूकता के स्तर को जानने के लिए यह प्रश्न पूछा गया कि क्या शिक्षित महिलाएं अपराध के प्रति अशिक्षित महिलाओं के प्रति अधिक जागरूक है।

तालिका क्रमांक–1.1

शिक्षित महिलाएं आधुनिक समय में हो रहे अपराधों के प्रति अधिक जागरूक है

क्रं.	कथन	कुल
1.	शिक्षित महिलाएं जागरूक है?	87
2.	शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है?	5
3.	बहुत सी शिक्षित महिलाएं भी जागरूक नही है।	3
4.	आधुनिक समय में अशिक्षित महिलाएं भी अपराध के प्रति जागरूक है।	5
	योग	100

तालिका क्रं. 1.1 से स्पष्ट होता है कि 87 प्रतिशत महिला उत्तरदाता यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि शिक्षित महिला ही अपराध के प्रति जागरूक हो सकती है। 5 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है। 3 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया की शिक्षित महिलाएं भी अपराधों के प्रति जागरूक नही हैं। यद्यपि इसके विपरीत 5 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि अशिक्षित महिलाएं भी अपराध के प्रति जागरूक है, जिसमें टी.वी. चैनलों जन संचार माध्यम आदि का प्रमुख सहयोग है।

शोधकर्ता ने द्वितीय परिकल्पना की पुष्टि के लिए जिन महिला उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया। उनसे यह पूछा गया कि क्या महिलाओं की जागरूकता पर उनके अधिवास क्षेत्र ग्रामीण/शहरी का प्रभाव पड़ता है?

तालिका क्रमांक–1.2

महिलाओं की जागरूकता पर उनके अधिवास क्षेत्र ग्रामीण/शहरी का प्रभाव पड़ता है।

क्रं.	कथन	कुल
1.	शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपराध के प्रति अधिक जागरूक है?	60
2.	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपरध के प्रति जागरूक है?	20
3.	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में संचार एवं विज्ञापनों का अभाव है?	10
4.	शहरी क्षेत्र की महिलाएं विज्ञापन, टी.वी. चैनल, अखबार एवं पत्रिका के प्रति अधिक उन्मुख है।	10
	योग	100

तालिका क्रमांक 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अपराध के प्रति जागरूक है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। जबकि 20 प्रतिशत महिला उत्तरदाता स्वीकार करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आधुनिक युग में पुरूषों के दबाव के कारण जागरूक नही है। 10 प्रतिशत महिला उत्तरदाता यह स्वीकार करती है कि ग्रमीण क्षेत्र की महिलाओं को जनसंचार एवं विज्ञापनों से दूर रखा जाता है। जिसके कारण वह अपराधों के प्रति जागरूक नही हो पाती है। यद्यपि 10 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को टी.वी. चैनलों व जन संचार के द्वारा ही अपराध से लड़ने की शक्ति मिलती है।

निष्कर्ष :–

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं के बढ़ते अपराध के प्रति जागरूक करने की बहुत अधिक आवश्यकता है जिससे वह अपने अधिकारों को समझ सके और उसके प्रति जागरूक होकर उसका खुलकर विरोध कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाये। टी.वी. चैनलों एवं विज्ञापनों की जानकारी दी जाए।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सामान्य रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाये। जिससे जागरूकता में भिन्नता न पाई जाये।

सुझाव :–

- महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महिला कर्मचारियों को रखा जाए।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षित करने हेतु इनके घर के पास कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
- महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देने हेतु महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये जिससे कि महिलायें खुल करके अपनी समस्याऐं सुना सके।
- दुरगामी क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने हेतु टीम गठित करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपराधों एवं उनसे बचने का उपाय बताया जाये।
- ग्रामीण महिला साक्षारता दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ. डी.एस. बघेल अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली।
- धरमराज सिंह एवं बबीता सिंह (2012) परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक संदर्भ वर्ष 19 अंक 1 अप्रैल 2012 पेज नं. 29.
- नाटाणी प्रकाश नारायण : कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, जयपुर बुक एनक्लेव जयपुर।
- महाजन एवं महाजन अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली।
- उषा मुलायलिक शर्मा (1991), महिलाओं के बीच शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता, पत्रिका हिन्दी संस्करण, आगरा।
- रायजादा अतीत, महिला उत्पीड़न समस्या और समाधान भोपाल (म.प्र.) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।